तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इमिशिवल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मूर्ति कर्णेश्वर बनाम कान्हा प्रकरण संख्या - 0087/2020	
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा भंवरलाल व कान्हा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी ग्राम कंसुआ ख.नं. 152, 153 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या नजरसानी/TA/2902/2015/कोटा में दिनांक 31/3/21 को वादीगण को प्रश्नगत कब्जे के सम्बन्ध में वाद न लाने का अधिकार न मानते हुए उक्त मूल वाद खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी अनिल कुमार गोस्वामी, कमल गिरी गोस्वामी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष SB सिविल रिट पीटीशन नम्बर 5771/2021 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें भी	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.10.2023 पारित कर वादी को उक्त मूल वाद लाने का औचित्य न मानते हुए उक्त मूल वाद खारिज होने योग्य माना है। और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त मूल वाद खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 31/03/2021 को उचित मानते हुए बहाल रखा है। उक्त आधार पर प्रतिवादी भंवरलाल द्वारा उक्त वाद को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज कर दिए जाने से उक्त वाद की कार्यवाही को ड्रोप किए जाने का अनुरोध किया है।

उक्त प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में हमने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय 31/03/21 तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2023 का सावधान अध्ययन किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31/03/2021 में आदेशित किया गया है कि - " मण्डल द्वारा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12/05/2015 को खारिज किया जाता है। इसके ~~साथ ही~~ अतिरिक्त यह भी विवेचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 19/03/2021 की रोशनी में वादीगण को प्रश्नगत रकबे के सम्बन्ध में वाद लाने का अधिकार नहीं है। अतः मूल वाद इसी स्तर पर खारिज योग्य होने से खारिज किए जाने की आज्ञा पारित की जाती है।" स्पष्टतया माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा मूल वाद को ही खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण अनिल कुमार गोस्वामी व कमल गिरी गोस्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में SB Civil writ petition NO. 5771/2021 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.10.2023 द्वारा आदेशित किया गया है कि - " Section 221 of the Act of 1955 speaks of the general superintendence and control of the board over all Revenue Courts. While considering the review petition the board of Revenue	

उपखण्ड अधिकारी

in view of the letter dated 19.03.21 issued by the Devsthan Department found that the petitioners are having no locus to institute the suit in the Revenue. Courts in the name of the temple and therefore, has rightly quashed the suit proceedings instituted by the petitioners. After upholding the validity of the letter dated 19.03.2021 vide order dated 09.10.2023 in writ petition No 4573/2021, this court finds no illegality in the order of the board of Revenue dated 31.03.2021 quashing the suit proceedings instituted by the petitioners, having no locus."

स्पष्टतया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 11.10.2023 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय 31.03.2021 को विधिसम्मत मानते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने को नियमसंगत माना है।

उपखण्ड अधिकारी
कोट[illegible]

ated 19.03.21)
artment found
ing no locus
Revenue.
mple and
the suit
petitioners
f the
nder
n NO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसने पत्रावली में संलग्न अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से समाधान मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के पत्रांक विधि/2024/802 दिनांक 12/7/24 द्वारा देवस्थान विभाग कोटा को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति भेजकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है। पत्रावली में देवस्थान विभाग द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है जो वर्तमान में जेरकार है। चूंकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा मूल वाद ही खारिज कर दिया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय को बहाल रखा है, हम इस पत्रावली में कोई भी अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं पाते। अतः देवस्थान विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O-1 R-10 बाबत पक्षकार बनने खारिज किया जाता है। देवस्थान विभाग अपने पत्रांक 19.3.2021 तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक	

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

31.03.2021 तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2023 के क्रम में पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा न्यायिक निर्णयों 31.03.2021 तथा 11.10.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम प्रश्नगत प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज कर दिये जाने के परिणामस्वरूप इस न्यायालय में लैटकार कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/3/24

उपखण्ड अधिकारी
कोटा